निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 18 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** के माह 11/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26/05/2018 से 06/06/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार एवं श्री पी. के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28/11/2016 से 08/12/2016 तक श्री एम. एस. रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ....
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	-	866.63	866.63	3649.39	2542.34	-	-
2016-17	--	-	765.72	765.72	2138.32	2127.74	-	-
2017-18	-	-	691.70	691.70	1525.28	1525.28	-	-
2018-19	-	-	636.01	104.79	440	390	-	-
Total	-	-	2960.06	2428.84	7752.99	6585.36	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
		शून्य			

4. इकाई को बजट आवंटन .... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई राज्य योजना एवं जिला योजना श्रेणी की है ।
5. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखंड, लो॰नि॰वि॰

मुख्य अभियंता, लो॰नि॰वि॰ ,स्तर-1

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लो॰नि॰वि॰

अधिक्षण अभियंता, (वृत्त स्तर)

अधिशासी अभियंता, लो॰नि॰वि॰ (खंडीय स्तर)

6. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग चौडीकरण के कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ....के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

7. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .... से .... का निरीक्षण किया गया।

8. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ....तथा .... तक की गई।

9. फार्म 51: माह 04/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ₹ 81779.85

भाग द्वितीय ₹ 376661.45

10. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ....के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	₹ 16,17,735.00
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	₹ 3,72,73,953.00
(ङ)	भण्डार	₹ 25,86,032.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य पर अधिक मात्रा में एसडीबीसी का प्रयोग होने के कारण व्ययाधिक्य:- ₹106.00 लाख था।

उत्तराखंड शासन राज्य योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग (किमी 5 से किमी 87=82 किमी) के चौडीकरण एवं एसडीबीसी से सतह सुधारीकरण कार्य सहित दो सेतुओं के निर्माण हेतु `4787.33 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2009 में प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा उक्त कार्य के लिए दो चरणो में क्रमश: `465.13 लाख (17/02/2012) एवं `3124.68 लाख (जनवरी 2014) की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति क्रमश: सेतु निर्माण एवं मार्ग सुधारीकरण के लिए प्रदान की गयी थी। इस प्रकार, वित्तीय स्वीकृति `4787.33 लाख के सापेक्ष कुल `3589.31 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मार्ग निर्माण के लिए M/s Woodhill Infrastructure Ltd. के साथ `3034.99 लाख के लागत से अनुबंध का गठन किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथि क्रमश: 20/02/2014 एवं 19/08/2015 थी। वर्तमान में 16$^{th}$ एवं अंतिम देयक (वाउचर सख्या-62 दिनांक 23.04.18) के अनुसार मार्ग सुधारिकरण पर `2974.92 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है किन्तु कार्य समापन के निर्धारित तिथि के सापेक्ष 01 वर्ष के बाद 21 सितम्बर 2016 को पूर्ण हुआ था।

प्राविधिक टिप्पणी से ज्ञात होता है कि मार्ग के चौडीकरण के लिए अपेक्षित वनभूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव निरस्त होने के कारण केवल वर्तमान में उपलब्ध लेपित सतह को ही हॉट मिक्स (एसडीबीसी) से सुधार किए जाने के निर्देश दिये गए थे किन्तु मार्ग के किमी 23, 24 एवं किमी 26 से किमी 32 यथा कुल 09 किमी के लंबाई को सुधारीकरण के लिए इस आशय से सम्मिलित नहीं किया गया था कि इस लंबाई (stretch) का सुधारीकरण कार्य पूर्व में किया जा चुका था। इसके साथ ही मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए undulation एवं patches को समतलीकृत करने के लिए कुछ मात्रा में बिटुमिनस मैकेडम (बीएम) के प्रयोग का प्रावधान किया गया था जिसकी प्रावधानित मात्रा पूरे मार्ग पर प्रयुक्त होने वाली मात्रा का 25 प्रतिशत था परंतु

स्थलीय निरीक्षण के आधार पर सतह सुधारीकरण के लिए 40mm मोटाई में एसडीबीसी बिछाने का प्रावधान किया गया था जो आईआरसी-37-2001 में उल्लेखित मार्ग डिज़ाइन से संबन्धित किसी भी डिज़ाइन के अनुकूल नहीं था।

लेखा परीक्षा जांच में यह पाया गया था कि undulation एवं patches को समतलीकृत करने के लिए बीएम की प्रावधानित मात्रा 4926 घन मीटर के सापेक्ष 8371.76 घन मीटर यथा कुल 3445.76 घन मीटर अधिक में बीएम का कार्य कराया गया था जिसके उत्तर में खंड द्वारा बतलाया गया था कि आगणन में प्रावधानित नहीं किए गए 09 किमी लंबाई के stretch पर भी 50mm एवं 25mm में बीएम एवं एसडीबीसी के कार्य कराये गए थे जिसकी स्वीकृति विचलन प्रतिवेदन के द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी। पुनः 09 किमी के इस stretch पर 50एमएम की मोटाई में बीएम से कार्य कराये जाने पर केवल 1856.25[1] घनमीटर ही बीएम का प्रयोग अपेक्षित था। इस प्रकार, मार्ग के अप्रावधानित stretch पर 1856.25 घन मीटर बीएम के उपयोग के बाद भी 1589.01 घनमीटर अधिक बीएम का प्रयोग किया गया था। पुनः विभाग द्वारा IRC-37-2001 में उल्लेखित डिज़ाइन के विपरीत 25mm के सापेक्ष 40mm की मोटाई में मार्ग पर एसडीबीसी बिछाये जाने के कारण 5696.66 घनमीटर एसडीबीसी का अधिक प्रयोग हुआ था। चूंकि विभाग द्वारा बीएम का प्रावधान पूर्ववर्ती मार्ग के सतह को कुछ स्थानो पर समतलीकरण के उद्देश्य से किया गया था और इस कारण IRC-37-2001 में उल्लेखित डिज़ाइन के विपरीत 25mm के सापेक्ष 40mm मोटाई में मार्ग पर एसडीबीसी बिछाये जाने का प्रावधान था परंतु इसके विपरीत खंड द्वारा बीएम एवं एसडीबीसी से संबन्धित उपलब्ध कराये गए आंकड़ो से ज्ञात होता है कि मार्ग के उस क्षेत्रफल पर भी 40एमएम की मोटाई में एसडीबीसी का कार्य कराया गया था जंहा पर 50 एमएम की मोटाई में बीएम का कार्य कराया गया था जिसका विवरण किलोमीटर-वार निम्नवत है।

किमी	टैककोट (क्षेत्रफल m^2में)		बिछाये गए बीएम की मात्रा (M^3)	बिछाये गए एसडीबीसी की मात्रा (M^3)	बिछाये गए बीएम की मोटाई (मीटर में)	बिछाये गए एसडीबीसी की मोटाई (मीटर में)
	बीएम	एसडीबीसी				
20-23,25,33,34	10479.28	31370.89	506.89	1251.39	0.048	0.039
34-50	4452.80	82196.38	212.94	3286.48	0.048	0.040
51-87	53015.19	181032.37	2656.91	7240.69	0.050	0.040

[1] 9000m * 3.75m * 0.05m + 10 per cent for curve= 1687.50 m^3 +168.75 m^3 = 1856.25 m^3

	67947.27	294599.64	3376.74	11778.56	0.049	0.040

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्णित किमी के 2,94,599.64 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एसडीबीसी का कार्य कराया गया था। मार्ग के उपरोक्त क्षेत्रफल के सापेक्ष 67,947.27 वर्गमीटर में बीएम 0.050 मीटर के मोटाई में बिछाया गया था और मार्ग के इस क्षेत्रफल में भी 0.040 मीटर के मोटाई में एसडीबीसी बिछाया गया था जबकि खंड के एक उत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 09 किमी के stretch में 0.050 मीटर एवं 0.025 मीटर के मोटाई में क्रमश: बीएम एवं एसडीबीसी बिछाया गया था। इस प्रकार, मार्ग के 67,947.27 वर्गमीटर क्षेत्रफल, जंहा बीएम 0.050 मीटर के मोटाई में बिछाया गया था, वंहा भी एसडीबीसी 0.025 मीटर मोटाई के सापेक्ष 0.040 मीटर के मोटाई में एसडीबीसी बिछाये जाने के कारण 1019.13[2] घनमीटर अधिक एसडीबीसी बिछाया गया था जिसके कारण `106.00 लाख की राशि अधिक व्यय करनी पड़ी थी और इसे बचाया जा सकता था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि high altitude होने के कारण 40mm की मोटाई में एसडीबीसी बिछाने का प्रावधान किया गया था जिसके संबन्धित पत्र Bill of Quantity में संलग्न है।

खंड का उत्तर निम्नलिखित कारणो से स्वीकार नहीं है।

1. मार्ग की designing ना ही IRC-37-2001 में उल्लेखित प्रावधानों यथा BM एवं एसडीबीसी के अनुसार की गयी थी और ना ही मार्ग के MSA तथा CBR की गणना की गयी थी।
2. वित्तीय स्वीकृति के बिन्दु-7 में निर्देशित तथ्य कि कार्य का सम्पादन लोक निर्माण विभाग में प्रचलित विशिष्टियों के अनुरूप ही किया जाए का भी पालन नहीं किया गया था जबकि IRC-37-2001 के प्रावधान सर्वसुलभ थी।

2

Area in which BM was laid in 0.050 m thickness	Quantity of SDBC when thickness is 0.040 m	Quantity of SDBC when thickness is 0.025 m	Difference	Rate in `	Amount in `
67947.27M^2	2717.89 M^3	1698.68 M^3	1019.13M^3	10401.30	1,06,00,276.87

3. खंड का उत्तर कि अप्राविधानित stretch (09 किमी) में बिछाये गए BM एवं एसडीबीसी की मोटाई क्रमश: 50 एमएम एवं 25 एमएम थी, भी उपलब्ध कराये गए आंकड़ो से भिन्न है जिसके जांच से यह ज्ञात हुआ कि 40एमएम में एसडीबीसी उन स्थानो पर भी बिछा दी गयी जंहा बीएम की मोटाई 50 एमएम थी।
4. High Altitude के सम्बन्ध में भी कोई पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 ठेकेदार को 3.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जाना।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चौडीकरण एवं एसडीबीसी से सतह सुधारीकरण कार्य (किमी 5 से 87 एवं 2 सेतु सहित) हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा ₹4787.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी (03/2009)। मुख्य अभियन्ता, लो. नि.वि. अल्मोड़ा द्वारा उक्त कार्य की ₹3124.68 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति (टीएस) (पूर्व में प्रदान ₹465.13 लाख की प्राविधिक स्वीकृति सहित कुल ₹3589.31 लाख लागत) प्रदान की गयी(01/2014)। एकमात्र निविदाकार m/s woodhill infrastructure ltd के साथ 4.5% अधिक दर पर 30,34,99,393.30 लागत पर एक अनुबंध गठित कर दिया गया (दिनांक 20/02/14) जिसके अनुसार कार्य आरंभ एवं समाप्ति की तिथियां क्रमश: 20/02/14 एवं 19/08/15 थी। कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 23/02/2018 थी। ठेकेदार के साथ अनुबंध में संलग्न GPW-9Q की कडिका No. 4 (Compensation for Delay) के अनुसार -

If the contractor fails to maintain the required progress as per Annexure-A or to complete the work and clear the site on or before the Date of completion or extended date of completion, he shall, without prejudice to any right or remedy available under the law to the government on account of such beach pay as agreed compensation the amount calculated at the rates

stipulated below if that the progress remains below that specified in Schedule-A or that the work remains incomplete.

SCHEDULE- A

The date of start of work may be maximum 15 days after the date of registration of contract. Mile stone (s) shall be as per table given below:-

S. No.	**Financial Progress**	**Time allowed (from date of start)**	**Grace period**
1.	1/8th (12.5%) of the cost of total work done.	1/4th (25%) of bounded period.	1/8th of the bounded period
2.	3/8th (37.5%) of the cost of total work done.	1/2nd (50%) of bounded period.	
3.	3/4th (75%) of the cost of total work done.	3/4th (75%) of bounded period.	
4.	Full (100%) of the cost of total work done.	Full (100%) of bounded period.	

Conditions to withheld the amount in case of non-achievement of milestone.

(4.1) If the work is not started by the end of the time given for the first milestone, the agreement shall be immediately finalized and the performance security shall be forfeited.

(4.2) If the work is started just before the lapse of the first milestone, but not completed by the time given for the grace period, 2.50% of the contract value shall be withheld and it shall only be refundable incase of compensating the target of the first milestone along with the second milestone within the scheduled time of second milestone.

(4.3) In the event of non achieving the necessary progress as per the second milestone additional 3.50% of the contract value shall be withheld and the total 6.0% withheld money shall only be refundable if the required progress upto second milestone is achieved alongwith the third milestone within the scheduled time of third milestone.

(4.4) In achieving the targeted progress upto the third milestone additional 4% of the contract value shall be withheld and total 10% withheld money shall only be refundable if the targeted progress upto third milestone is compensated & achieved alongwith the forth milestone i.e the whole work is completed within the bonded period.

(4.5) If the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to him by the Government under this contract or any other acount whatsoever. Otherwise the same will be recoverable as an arrear of land revenue through collector.

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो.नि.वि. ,अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबन्ध की उक्त शर्तो के अनुसार किसी भी माइलस्टोन को प्राप्त

नहीं किया गया था, की बावजूद खंड द्वारा ठेकेदार पर कोई उक्तानुसार कोई दंड नही लगाया गया था , न ही दंड के रूप में उसके बिलों से कोई धनराशि रोकी गयी थी। ठेकेदार द्वारा कार्य को 18 माह में पूरा किया जाना था जबकि कार्य 48 माह (23/02/18) में पूर्ण किया गया । आगे जांच में यह भी पाया गया कि खंड द्वारा ठेकेदार को कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण कार्य कि प्रगति बढ़ाने हेतु बार-बार पत्र लिखे गए परन्तु ठेकेदार पर कोई दंड न लगाया गया यहाँ तक कि अधीक्षण अभियंता, संबन्धित को ठेकेदार के उपर 10% दंड लगाकर अनुबन्ध का अंतिमीकरण करने का आदेश दिया गया था उसके बावजूद ठेकेदार पर कोई दंड नहीं लगाया गया। इस प्रकार कार्य समय पर पूर्ण न करने के बावजूद, ठेकेदार पर अनुबन्ध कि शर्तानुसार 10% का दंड न लगाकर ठेकेदार को ₹3.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि फर्म (ठेकेदार) द्वारा कार्य 21/09/2016 को ही पूर्ण कर दिया गया था। अधीक्षण अभियंता द्वारा 10% दंड हेतु पत्र बाद में लिखा गया है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि -

1. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कोई माइलस्टोन प्राप्त नही किया था।
2. अधिशासी अभियंता संबन्धित द्वारा स्वय संबन्धित द्वारा अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा था कि ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं कर रहा है। इसी के बाद संबन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु पत्र लिखते हुए अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये थे कि वह 10% दंड के साथ अनुबन्ध का अंतिमीकरण करे। अधिशासी अभियंता द्वारा स्वय ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु कई पत्र लिखे गए लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति नही बढ़ाई गई और कार्य 18 माह के बजाए 48 माह में पूर्ण हुआ ।

3. खंड द्वारा कार्य का completion certificate प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 21/09/2016 खंड द्वारा बताई गयी है जबकि दिनांक 12/10/16 को ठेकेदार को 14वे running bills एवं 23/02/18 को final bill के सापेक्ष भुगतान किया गया।
4. ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि द्वारा जो कारण दिये गए है उनमे अत्यधिक वर्षा, एक माह तक maxfault उपलब्ध न होना तथा अतिरिक्त 9 किमी में BM/SDBC में 61 दिन लगना है। राज्य में वर्षा होना सामान्य चीजे है, maxfault लाने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की थी, maxfault उपलब्ध न होने संबंधी कोई साक्ष्य भी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। जहाँ तक extra 9 किमी में BM/SDBC करने के 61 दिनों की बात है और अनुबंधित अवधि 18 माह में 2 माह जोड़ने के बाद भी 20 माह के बावजूद कार्य 28 माह अतिरिक्त अर्थात 48 माह में पूर्ण हुआ।
5. ठेकेदार को केवल 21/09/16 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी थी जबकि वास्तविक रूप से कार्य 23/02/18 को पूर्ण हुआ।
6. ठेकेदार को केवल 21/09/16 तक समयवृद्धि 0.10% दंड के साथ दी गयी थी यदि ठेकेदार को दी गयी समयवृद्धि के पीछे कारण तर्कसंगत थे तो खंड उक्त ठेकेदार पर 0.10% penalty क्यो लगाई गई यह स्पष्ट नहीं है।
7. यदि कार्य 21/09/16 को ही पूर्ण हो गया था तो (जैसा कि खंड द्वारा बताया गया) तो दो अधीक्षण अभियंताओ एवं अधिशासी अभियंता द्वारा बार-बार कार्य कि प्रगति बढ़ाने एवं कार्य पूर्ण करने हेतु वर्ष 2017 एवं 2018 में ठेकेदार को पत्र क्यों लिखे गए।

अत: ठेकेदार को ₹3.03 करोड़ के अनुचित लाभ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

Executive Engineer, C.D., P.W.D., Almora.

Name of work:- Almora Ghat Motor Road.

Bond No. 20/S.E. -14/ 2013-14

Mile Stone	Financial Progress to be done as per contracts conditions	Time allowed as per contract condtions	Work done as per contracts conditions	Amount to be withheld
1st	1/8th (12.5%) of total 30.34 crore i.e 3.79 crore	41/2 month (20/02/14 se 07/06/14)	upto 01/08/14 only ₹3.59 crore/P-758 (after subtracting second + MA)	7260751.00
2nd	3/8th (37.50%) of the cost of total i.e 11.38 crore	9th month (i.e. upto 22/11/14)	upto 21/10/14 only ₹4.01 crore /P-748	10165051.00
3rd	3/4th (75%) i.e. 22.76 crore	13&1/2 month i.e. upto 08/04/15	Mile stone not achieved only work of ₹12.09 done upto 30/03/15 /P-744	11617201.00
4th	100% i.e. total 30.34 crore	Upto scheduled completion date 19/08/2015 (18month)	Mile stone not achieved work done only ₹19.95 crore upto 26/10/15	303499393.30 P-890/ P-990 i.e 3.03 crore

			/P-720	

भाग -दो 'ब'

प्रस्तर-2- रु. 0.36 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि पेटशाल- बमनश्वाल-सुवाखान मोटर मार्ग पर कुल स्वीकृत रु॰ 583.47 लाख के सापेक्ष नाबार्ड लोन स्वीकृति के समय (07.09.2013) शेष लागत रु॰ 534.19 लाख थी। उक्त रु॰ 534.19 लाख में से नाबार्ड लोन स्वीकृति के अंतर्गत रु॰ 525.12 लाख एवं रु॰ 9.07 लाख क्रमशः नाबार्ड अंश एवं राज्य अंश था। इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग पर नाबार्ड लोन स्वीकृति के समय दिनांक 31.03.2013 तक रु॰ 49.28 लाख का व्यय दर्शाया गया था जबकि खंड के मार्च 2013 के मासिक लेखे के अनुसार यह व्यय रु॰48.92 लाख था। अतः उक्त व्यय में रु॰ 0.36 लाख का अंतर था। इसी प्रकार दिनांक 31.03.2013 तक रु॰ 49.28 लाख का व्यय मानते हुए मार्च 2018 के मासिक लेखे एवं अद्यतन व्यय (अप्रैल 2018) रु॰ 582.34 लाख दर्शाया गया था।

लेखा-परीक्षा में अन्तरीय धनराशि रु. 0.36 लाख के कारणों के विभागीय उत्तर में बताया गया कि मासिक लेखे में जो धनराशि दर्शायी गई है वह धनराशि सही है, नाबार्ड की (मासिक आख्या) रिपोर्ट में त्रुटिवश धनराशि गलत अंकित हुई है, जिसे अगले माह में ठीक कर लिया जायेगा।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 2018 के मासिक लेख एवं नाबार्ड के प्रगति रिपोर्ट में व्यय रु॰ 582.34 / 582.35 दर्शाया गया है जोकि दोनों में समान व्यय है। नाबार्ड के प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मार्ग का कार्य पूर्ण है। इस प्रकार उक्त कार्य पर एक ही धनराशि रु. 0.36 लाख का दो बार भुगतान किया गया है।

अतः रु॰ 0.36 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-'ब'

प्रस्तर-3- रु॰21.77 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि निक्षेप एवं जिला योजना कार्य के अंतर्गत भवन कार्य के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत नरसिंह बाड़ी अल्मोड़ा में आवासीय भवनों की मरम्मत के कराये गए कार्यों पर रु. 120.02 लाख का व्यय खंड के मार्च 2018 के मासिक लेखे में दर्शाया गया है तथा कार्य पूर्ण है | जबकि रु. 21.77 लाख की धनराशि का 345 ड्रम मेक्सफाल्ट / बिटुमिन स्टॉक कार्य पर दिनांक 28.03.18 में बुक किया गया था |

विभागीय उत्तर में बताया गया कि 2017-18 में 'पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो धनराशि प्राप्त हुई थी, उससे आवासों कि रंगाई-पुताई, पतनालों, सोफिट,चेम्बर, दीवार निर्माण के कार्य करवाये गये।आगे बताया गया कि पूल्ड हाउस कालोनी में एप्रोच रोड आदि में उपयोग किया जाएगा।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त मरम्मत का कार्य मैक्सफाल्ट से संबन्धित नहीं है एवं वर्ष 2017-18 में कार्य पर पूर्ण धनराशि का खर्च दर्शाया गया है तथा कार्य पूर्ण है। जहां तक पूल्ड हाउस कालोनी में एप्रोच रोड बनाया जाएगा का प्रश्न है न ही इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है न ही 345 ड्रम मैक्सफाल्ट का उक्त कार्य पर उपयोग किया जाना है का कोई प्रावधान प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार रु॰21.77 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- रु.2.24 लाख का प्रकीर्ण अग्रिम का समायोजन न किया जाना एवं रु.49.08 लाख के निक्षेप का अवरोध के रूप मे पड़ा रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के प्रकीर्ण अग्रिम एवं निक्षेप पंजिका से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका में माह फ़रवरी 2004 एवं मार्च 2017 में क्रमशः B.P.C.L., Bareilly एवं Indian Oil Corporation Limited, Haldwani को क्रमशः ₹1,55,504.00 एवं ₹68,280.00 का अग्रिम दर्शाया गया है, इसी प्रकार निक्षेप भाग- III पंजिका में माह अप्रैल 2012 में भूमि प्रतिकर के सापेक्ष ₹1, 49,08,515.00 जमा है |

उक्त अग्रिम किन मदों एवं कार्यो हेतु भुगतान किया गया था से सम्बंधित विवरण एवं बिल / वाउचर एवं भूमि प्रतिकर का भुगतान किस वर्ष के एवं किन कार्यो से सम्बंधित था, के लेखा-परीक्षा के बिन्दु के विभागीय उत्तर मे बताया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम मद मे पड़ी धनराशि के समायोजन हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है तथा उक्त धनराशि बहुत पुरानी होने के कारण उनके बिल/वाउचर उंपलब्ध नहीं हो पा रहे है। आगे बताया कि भूमि प्रतिकर कि धनराशि विभिन्न मोटर मार्गो के निर्माण से प्रभावित भूमि की है, जिसे संबन्धित काश्तकारों को बाँटा जाना है जिसे बांटने की कार्यवाही प्रगति पर है।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि प्रकीर्ण अग्रिम का भुगतान, किन मदों एवं कार्यो में किया गया इसका लेखा एवं विवरण नहीं होना, अनियमित है एवं भूमि प्रतिकर का भुगतान किस वर्ष से सम्बंधित था विवरण नहीं होना तथा आतिथि तक काश्तकारों को न बाँटा जाना भुगतान के दायित्त्वों को बढाता है।

इस प्रकार ₹2.24 लाख का प्रकीर्ण अग्रिम का समायोजन न किया जाना एवं ₹49.08 लाख के निक्षेप का अवरोध के रूप मे पड़े रहने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन

As per audit memo – 48/623 all paras expect 97/04-05, 105/05-06 भाग-दो (ब) प्रस्तर-1 and 13/2012-13 after .... as it is.

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

97/04-05 105/05-06 13/12-13	भाग-2(ब) प्रस्तर-1,2 भाग-2(ब) प्रस्तर-1 भाग-2(ब) प्रस्तर-1,2,3	निस्तारित पृष्ठ संख्या- 1110	शेष विगत प्रतिवेदनों, वर्ष- 2017-18 को सम्मिलित करते हुए अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है क्योंकि उच्चाधिकारियों को संस्तुति प्राप्त नहीं है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

(I) Correspondence file, complition certificate, works against receipt road cutting charges related documents as Tender imitation, all bonds, TS, sanctions, etc. In respect of Almora Ghat road complete paper of deduction of cess. TAN of last audit and royality and other records.

Correspondence file of Almora Ghat road.

2. **सतत् अनियमितताएः**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
(i)	श्री चन्दन सिंह नेगी	08/12/16 से 24/12/16

(ii)	श्री सुनील कुमार गर्ग	24/12/16 से 12/03/16
(iii)	श्री श्याम दत्त पाण्डे	12/03/17 से 24/03/17
(iv)	श्री सुनील कुमार गर्ग	25/03/17 से 30/07/17
(v)	श्री श्याम दत्त पाण्डे	31/07/17 से 24/08/17
(vi)	श्री एन. सी. जोशी	24/08/17 से 15/09/17
(vii)	श्री मूल चन्द गुप्ता	15/09/17 से 05/11/17
(viii)	श्री के. के. तिलारा	06/11/17 से 02/01/17
(ix)	श्री मूल चन्द गुप्ता	02/01/18 से 29/01/18
(x)	श्री बी. सी. गुप्ता	29/01/18 से अब तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित वित्त नियंत्रक कार्यालय से संबंद्ध रहे।**

(i) श्री ओम प्रकाश मीना 8/12/2011 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II